अपील सूचना अधिकार संख्या 104/2020 (RCMS 2020/00175) राजवीर सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह निवासी ग्राम 38 बीबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर बनाम उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर

28.09.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी राजवीर सिंह स्वयं उपस्थित है, उसे सुना गया। प्रार्थी का कथन है कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2020 प्रस्तुत करके लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर से तीन बिन्दुओ की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावे और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजवीर सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 08.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थीः

1. आप द्वारा जारी फर्द अहकाम अमरीक सिंह बनाम नक्षत्र कौर आदि किस्म मुकदमा 212 आरटीए प्रकरण नं...../18 में जारी अस्थायी निषेधज्ञा (चालू पाईप की यथास्थिति) सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।
2. यह कि आप द्वारा जारी फर्द अहकाम अमरीक सिंह बनाम नक्षत्र कौर आदि किस्म मुकदमा 212 आरटीए प्रकरण नं.../18 में जारी अस्थायी निषेधज्ञा (चालू पाईप की यथास्थिति) में वर्णित भूमि वाके चक 38 बीबी तहसील पदमपुर के मुरब्बा नं. 20 की भूमि की जानकारी उपलब्ध करावे कि यथास्थिति मुरब्बा नं. 20 के रकबे में है या सिंचाई विभाग की भूमि पर है सूचना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

3. यह कि आप द्वारा जारी फर्द अहकाम अमरीक सिंह बनाम नक्षत्र कौर आदि किस्म मुकदमा 212 आरटीए प्रकरण नं...../18 में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा (चालू पाईप की यथास्थिति) में मुकर्र तिथि 15.06.2018 को लिए गए निर्णय की विस्तृत सूचना एवं निर्णय पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

अपीलार्थी द्वारा वांछित उक्त सूचनाओं के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक सूअधिकार/2020/3032 दिनांक 23.06.2020 से निम्न प्रकार से उत्तर दिया जा चुका है :

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा चाही गई सूचना निम्नानुसार है:

1. आप द्वारा फर्द अहकाम अमरीक सिह बनाम नक्षत्र कौर आदि किस्म मुक्दमा 212 आरटीए प्रकरण संख्या /2018 में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (चालू पाईपलाईन की यथास्थिति) की संपूर्ण पत्रावली प्रतिलिपि चाही है। राजस्थान सरकार के प्रशासनिक विभाग (सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ) के प्रपत्र क्रमांक 20 (84) प्रसु(सूअप्र/2009 पार्ट दिनांक 12.10.2018) के अनुसार यदि किसी विशेष अधिनियम के दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबंध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर इस विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। उक्त नियमों के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चित्र प्रतियां दिया जाना संभव नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. बिन्दु संख्या 2 प्रश्नवाचक है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रश्नवाचक बिन्दुओं का जवाब नहीं दिया जा सकता है।

3. बिन्दु संख्या 3 से यह स्पष्ट है कि न्यायिक पत्रावली प्रार्थी स्वयं से संबंधित है या किसी तीसरे पक्षकार से संबंधित है। प्रार्थी कोर्ट मैन्युअल के अनुसार स्वयं के हस्ताक्षर से नकल लिये जाने हेतु निवेदन कर सकता है।

उक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 का जवाब सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः आपका प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अस्वीकार किया जाता है।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पदमपुर

उक्त के अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने अपने पत्रांक सू.अ./06/2020/4809 दिनांक 24.09.2020 से अपील पत्र का जवाब भी निम्न प्रकार से प्रेषित किया है :

टिप्पणी एवं जवाब अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :

1. यह कि प्रार्थी राजवीर सिंह पुत्र सुच्चा सिंह जाति जटसिख निवासी चक 38 बीबी तहसील पदमपुर ने न्यायिक पत्रावली अमरीक सिंह बनाम नक्षत्र कौर अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जारी निषेधाज्ञा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

महोदय इस बिन्दु में निवेदन है कि राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ट) के परिपत्र कंमाक 20(84) प्रसु(सूअप्र/2009 पार्ट दिनांक 12.10.2018 के अनुसार–

"यदि किसी विशेष अधिनियम के दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु कोई विशेष शुल्क निर्धारित है तो ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि लेने अथवा उनके निरीक्षण हेतु फीस लेने के संबध में अधिनियम 2005 के प्रावधान लागू न होकर इस विशेष अधिनियम के प्रावधान लागू होगें।"

कोर्ट मेन्युअल में न्यायिक प्रकरण को प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित है। अतः प्रार्थी की अपील खारिज की जाये एवं प्रार्थी को निर्देशित किया जाये कि कोर्ट मेन्युअल के अनुसार न्यायालय से पत्रावली की सत्याप्रति प्रतिलिपि लेने के लिए कोर्ट मेन्युअल की प्रक्रिया की पालना करें।

2. बिन्दु संख्या 2 प्रश्नवाचक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के नियम (1) के अनुसार प्रश्न वाचक बिन्दुओ का जवाब नहीं दिया जा सकता।
3. यह कि बिन्दु संख्या 3 से यह स्पष्ट नही है कि न्यायिक पत्रावली प्रार्थी स्वयं से सम्बन्धित है या किसी तीसरे पक्षकार से। प्रार्थी कोर्ट मेन्युअल के अनुसार स्वयं के हस्ताक्षर से नकल के लिए आवेदन करे।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः महोदय जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की अपील खारिज करते हुए प्रार्थी को निर्देशित किया जाये कि कोर्ट मेन्युअल के अन्तर्गत न्यायिक प्रकरण की सत्यापित प्रतिलिपि लेने को प्रक्रिया की पालना करें। प्रार्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करने पर प्रार्थी को न्यायिक प्रकरण की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करवा दी जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

चूंकि अपीलार्थी को वांछित सूचनाओं बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार दिनांक 23.06.2020 को उत्तर दिया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचनाओं का सम्बन्ध न्यायालय में लम्बित न्यायिक प्रकरण से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर ने राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक 20(84)प्रसु(सूअप्र/2009 पार्ट दिनांक 12.10.18 को ध्यान में रखकर प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 23.06.2020 के द्वारा जो उत्तर दिया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्तानुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर